

Form-1

For linear projects -
Government of India

Office of the district collector Tehri Garhwal

No. 2552/XXVI-85 (2014-15)

Dated... 18/6/15

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **0.245 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for **Construction work of Steel Gerder Bridge with approach Road connecting km 02 of Ghansali-Ghuttu motor road and km-03 (6-8) of Ghansali-Koti Akhodi motor road at Ardhangi.** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Raunsal village (s) In Ghansali Tehsils.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.245 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to annexure.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Date:- 18/6/2015

S.D.M

Ghansali
Tehri Garhwal

Signature

(Yugant Singh Pant)
District Collector,
Tehri Garhwal

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- मुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोडी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (0-3) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत घनसाली- मुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोडी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (0-3) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.175 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.070 हे० सिविल एवं साधन वन भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.245 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रा में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-घनसाली) की दिनांक- 12/11/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जगदीश लाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. श्री जगदीश लाल, उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2. श्री हमशंकर अग्रवाल उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य। |
| 3. श्री सुरेश कुमार गौतम सहायक समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली। | सदस्य/सचिव। |
| 4. श्री वही कृष्ण मिश्रा बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना। | सदस्य। |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- मुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोडी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (0-3) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु परियोजना हेतु 0.245 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रा में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मागला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्परान्त नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सभ्यता से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.245 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

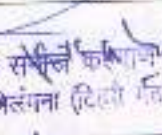
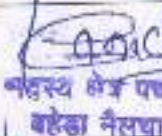
उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

पत्रांक :- / तददिनांक।
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनाार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक- 17/6/15 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलंगना में धनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व धनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में मिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु भू हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, धनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जगदीश लाल	उपजिलाधिकारी	 उपजिलाधिकारी धनसाली
2	हनुमान चन्द	उप प्रभागीय वनाधिकारी, धनसाली	 उप प्रभागीय वनाधिकारी धनसाली
3	श्री सुरेश कुमार शेट्टी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी मिलंगना (टिहरी गढ़वाल)
4	सी.पी. के. जियो	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख मिलंगना	 क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलंगना

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- फलेण्डा
तहसील- घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.175 है० आरक्षित वन भूमि 0.070 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.245 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत फलेण्डा द्वारा दिनांक-03/6/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फलेण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है। - प्रस्ताव ह०-07 दि० 03/6/2015

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि० ख० भिलंगना (टि० ग०)



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1



दिनांक 03/06/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत फलेडा प्रस्ताव सं 02 दि 03/6/2015

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	सोहन सिंह 810 खोटा श्री खोटा सिंह 1000	[Signature]
2	महाराष्ट्र डबोला 510 श्री जलमहिंद डबोला	[Signature]
3	यशवीर सिंह डबोला 510 श्री बरगनीत सिंह डबोला	[Signature]
4	राजेश्वर सिंह डबोला 810 श्रीगोविंद डबोला	[Signature]
5	प्रताप सिंह राजा 510 श्री सिंह	[Signature]
6	कुमार सिंह राजा 510 श्री सिंह	[Signature]
7	कीर्ति सिंह राजा 510 श्री सिंह	[Signature]
8	मंगू देवी 100 प्रताप सिंह	[Signature]
9	सोमा देवी 100 विमलचन्द्र (पिता नर नंद)	[Signature]
10	कुन्दन सिंह 510 इन्द्र सिंह	[Signature]
11	प्रकाश सिंह चोहरा 510 गोवर सिंह	[Signature]
12	देवेंद्र सिंह राजा 510 श्री सिंह	[Signature]
13	गोदा देवी 100 सुमन सिंह (सुजान)	[Signature]
14	कृष्ण सिंह राजा 510 कल्याण सिंह	[Signature]
15	कुल सिंह राजा 510 हरि सिंह	[Signature]
16	बच्चन सिंह डबोला 510 कल्याण सिंह	[Signature]
17	भार सिंह डबोला 510 कल्याण	[Signature]
18	भार सिंह गोरी 510 हान सिंह	[Signature]
19	सुराज सिंह गोरी 510 हान सिंह	[Signature]
20	शम्भार सिंह गोरी 510 भार सिंह	[Signature]
21	पुन सिंह डबोला 510 हरी सिंह	[Signature]
22	विमल सिंह मेगवाल 510 चतर सिंह	[Signature]
23	सरस्वती देवी 100 भाग्यचंद्र	[Signature]
24	सरोजनी देवी 100 विमल सिंह	[Signature]
25	सोकर सिंह राजा 510 लाल सिंह	[Signature]
26	राधन सिंह विगवाल 510 जगत सिंह - 250 ल	[Signature]
27	कुनाल देवी 100 भाग्यचंद्र सिंह	[Signature]
28	भगन सिंह महरा 100 नारायण सिंह	[Signature]
29	भोम सिंह रमाका 510 करण सिंह	[Signature]
30	शानचंद सिंह महरा 510 अमर सिंह	[Signature]
31	कुशाव सिंह रावत 510 जेविल सिंह (अ प्रधान)	[Signature]
32	नारायण सिंह 510 विवेक सिंह	[Signature]

33. ਭਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 510 ਬੰਕਰ ਸਿੰਘ
 34. (ਕੁਧਰ ਸਿੰਘ 210) 510 ਭਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
 35. ਏਯਾਹ ਸਿੰਘ 400 510 ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ

ਰਮਜੀਤ/

 ਕੁਧਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ

 ਏਯਾਹ ਸਿੰਘ

5

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-रौसाल

तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.175 है० आरक्षित वन भूमि 0.070 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.245 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौसाल द्वारा दिनांक-05/06/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौसाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-

ग्राम सचिव

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 05/06/2015 को ग्राम गमा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रायपुर

[illegible]

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of Motor Road with Steel Girder Bridge at Ghansali-Ghuthu Motor Road and Ghansali Kothi Akhadi Motor Road of Ardham scheme regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.245 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

सुधीर सिंह रावत

रावत

जिला प्रशासन

30, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन
तिहरी गढ़वाल।

समाज कल्याण अधिकारी
तिहरी गढ़वाल।

तिहरी गढ़वाल, तिहरी गढ़वाल।

प्रभाकर सिंह रावत
तिहरी गढ़वाल, नई तिहरी।

अधिसासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली

(युगल किशोर रावत)
जिला प्रशासन
तिहरी गढ़वाल।